2016 का विधेयक संख्यांक 212

[दि सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

धारा 2 का संशोधन ।

1992 का 40

5

2. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ठ) में, "मिजोरम," शब्द के पश्चात् "नागालैंड," शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, "मिजोरम," शब्द के पश्चात् "नागालैंड," शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके समावेशन के लिए तथा उस क्षेत्र में कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या की अभिवृद्धि को अग्रसर करने और अनुसंधान कार्य करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. तथापि, उक्त अधिनियम के अधीन "पूर्वोत्तर क्षेत्र" की परिभाषा तथा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अंतर्गत नागालैंड राज्य नहीं आता था । इसलिए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है, जिससे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय इम्फाल में है, की अधिकारिता के अधीन नागालैंड राज्य को सम्मिलित किया जा सके ।

3. प्रस्तावित संशोधनों से कृषि के विकास के लिए तथा कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या की अभिवृद्धि को अग्रसर करने और अनुसंधान कार्य करने के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के फायदों का विस्तार नागालैंड राज्य पर हो जाएगा, जैसा कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया जा रहा है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 जुलाई, 2016

राधा मोहन सिंह

GMGIPMRND—2052LS(CRC)—1-8-2016.